











## सम्पादकीय

## चीन के खिलाफ तैयारी

ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी करीब 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर नजर बनाए रखना अपने आप में खासा चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल सैन्य तैनाती में खास इंजाफा किए बगैर तकनीकी क्षमता बढ़ाते हुए इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें यह स्थिति हासिल कर ली गई है कि दुश्मन किसी भी सूरत में हमें चौका न पाए। चीन की ओर से तात्कालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों के महेनजर भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में संरचनागत निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ा रही है। दरअसल, पिछले साल जून महीने में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच विभिन्न स्तरों पर बातचीत लगातार चल रही है, कुछ बिंदुओं पर सहमति भी बनी, लेकिन इसके बावजूद दोनों पक्षों में तनाव कम नहीं हो पा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथास्थित बहाल करने को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद अभी बने हुए हैं। इसी वजह से दोनों पक्षों के बीच अविश्वास भी बना हुआ है। 10 अक्टूबर को हुई सैन्य स्तर की 13वें दौर की बातचीत तो गतिरोध टूटें की कार्रा संभावना दिखाए बगैर ही समाप्त हुई।

इसी बीच चीन ने उपराष्ट्रपति वैकेया नायदू की अरुणाचल यात्रा पर ऐतराज जताकर यह संकेत भी दे दिया कि पूर्वी लद्धाख्य स्थित सीमाओं के साथ ही वह अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर विवाद खड़ाकर किसी भी समय इसे व्यापक रूप दे सकता है और अपनी सुविधा के हिसाब से जब जहां चाहे तनावपूर्ण हालात बना सकता है। ऐसे में स्वाभाविक ही है कि भारतीय सेना अपने तई पूरी सावधानी बरतते हुए चल रही है। जहां पूर्वी लद्धाख्य क्षेत्रों में करीब 50 हजार सैनिकों की तैनाती बरकरार रखी गई है, वहीं अरुणाचल प्रदेश की चीन से लगती सीमा पर निरंतर चौकसी के इंतजाम रखते हुए इन्फास्ट्रक्चर निर्माण के काम को भी जोर-शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है। ध्यान रहे कि अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से लगी करीब 1350 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर नजर बनाए रखना अपने आप में खासा चुनौतीपूर्ण है। फिलहाल सैन्य तैनाती में खास इजाफा किए बगैर तकनीकी क्षमता बढ़ाते हुए इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है और इसमें यह स्थिति हासिल कर ली गई है कि दुश्मन किसी भी सूरत में हमें चौका न पाए। जहां तक इन्फास्ट्रक्चर की बात है तो इसमें रातोंरात कोई बड़ा बदलाव तो नहीं हो सकता, लेकिन बिना किसी शोर-शराबे के उस मोर्चे पर भी काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। करीब 20 पुल, बड़ी संख्या में सुरंग और एयरबेस बनाने के अलावा कई महत्वपूर्ण इलाकों को सड़क से जोड़ने की योजना है। इसके अलावा तवंग को रेल से जोड़ने के प्रॉजेक्ट पर भी काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सबके पीछे रिएक्टर एप्रोच नहीं है। सेना दीर्घकालिक चुनौतियों के मद्देनजर अपनी जरूरतें समझते हुए तैयार की गई योजनाओं के अनुरूप काम कर रही है। निश्चित रूप से ये तैयारियां जहां हमारी सीमाओं को सुरक्षित बनाकर हमें निश्चिंत करेंगी, वहीं बुरा इरादा रखने वाली ताकतों को भी आगाह करेंगी कि अपनी भलाई को देखते हुए ही सही, पर कोई दुस्साहस न करें।

## पर्यावरण संबंधी समस्या को भयावह रूप प्रदान कर रहा है प्लास्टिक कचरा

**योगेश कुमार गोयल**

सज्जा क अमां में इतना समय बाट जान क बाद भा दला तथा दश क अन्य तमाम राज्यों में पॉलीथीन का उपयोग बदस्तर जारी है। पर्यावरण के लिए प्रास्टिक पूरी दुनिया में बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। इसीलिए इसका उपयोग सीमित करने और कई प्रकार के प्रास्टिक पर प्रतिबंध की मांग उठती रही है। भारत में भी ऐसी ही मांग निरन्तर होती रही है और समय-समय पर इसके लिए अदालतों द्वारा सख्त निर्देश भी जारी किए जाते रहे हैं किन्तु इन निर्देशों की पालना कराने में सख्ती का अभाव सदैव स्पष्ट परिलक्षित होता रहा है। यही कारण है कि लाख प्रयासों के बावजूद प्रास्टिक के उपयोग को कम करने में सफलता नहीं मिल पा रही है। इसका अनुमान इन आंकड़ों से भी लगाया जा सकता है कि भारत में 1990 में पॉलीथीन की जो खपत करीब बीस हजार टन थी, वह अगले डेढ़ दशकों में ही कई गुना बढ़कर तीन लाख टन से भी ज्यादा हो गई। 10 अगस्त 2017 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के तत्कालीन चेयररपर्सन स्वतंत्र कुमार की अगवाई वाली बैच ने अपने एक अहम फैसले में दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाते हुए सरकार को एक सप्ताह के भीतर ऐसे प्रास्टिक के सारे भंडार को जब्त करने का आदेश देते हुए कहा था कि दिल्ली में अगर किसी व्यक्ति के पास से प्रतिबंधित प्रास्टिक बरामद होते हैं तो उसे पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 5 हजार रुपये की राशि भरनी होगी। देश के बीस से भी अधिक राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों में प्रतिबंधित प्रास्टिक को लेकर इसी तरह के नियम लागू हैं लेकिन विडम्बना ही है कि सख्ती के अभाव में इतना समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली तथा देश के अन्य तमाम राज्यों में पॉलीथीन का उपयोग बदस्तर जारी है। 'प्रदूषण मुक्त सांसें' पुस्तक के अनुसार अगर

देश में प्रतिबाधीत प्लास्टिक के उपयोग में कमी नहीं आ रही है तो इसका सीधा और स्पष्ट अर्थ यही है कि इनके उत्पादन, बिक्री और उपयोग को लेकर संबंधित विभागों का रवैया बेहद गैर-जिम्मेदाराना और लापरवाही भरा रहा है। अक्सर देखा जाता है कि हमारी छोटी-बड़ी लापरवाहियों और कचरा प्रबंधन प्रणालियों की खामियों की वजह से पॉलीथीन या अन्य प्लास्टिक कचरा नालियों में भरा रहता है, जो नालियां, डेनेज और सीवरेज सिस्टम को ठप्प कर देता है। यही कचरा अब नदियों के बहाव को अवरुद्ध करने में भी सहायक बनने लगा है, जो अब थोड़ी-सी ज्यादा बारिंश होते ही जगह-जगह बाढ़ जैसी परिस्थितियां उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हिन्दी अकादमी दिल्ली के सौजन्य से प्रकाशित अपनी पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' में मैंने विस्तार से बताया है कि किस प्रकार 1988 और 1998 में बांगुदेश में आई भयानक बाढ़ का कारण यही प्लास्टिक ही था क्योंकि नालियों या नालों में प्लास्टिक जमा हो जाने से वहाँ के नाले जाम हो गए थे और इसीलिए इससे सबक लेते हुए बांगुदेश में 2002 से प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आयरलैंड में प्लास्टिक थैलियों के इस्तेमाल पर 90 फीसदी टैक्स लगा दिया गया, जिसके चलते इनका इस्तेमाल बहुत कम हो गया। आस्ट्रेलिया में सरकार की अपील से ही वहाँ इन थैलियों के इस्तेमाल में 90 फीसदी कमी आई। अफ्रीका महाद्वीप के देश रवांडा में प्लास्टिक बैग बनाने, खरीदने और इस्तेमाल करने पर जुर्माने का प्रावधान है। फ्रांस ने 2002 में प्लास्टिक पर पांचवीं लगाने का आभ्यान शुरू किया और 2010 में इसे पूरे देश में पूरी तरह से लागू कर दिया गया। न्यूयॉर्क शहर में रिसाइकल नहीं हो सकने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा है। चीन, मलेशिया, वियतनाम, थाईलैंड, इटली इत्यादि देशों ने प्लास्टिक कचरे के आयात पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए हैं। चीन विश्व का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरा आयातक देश रहा है लेकिन उसने भी कुछ समय पहले 24 श्रेणियों के ठोस

आयात किया जाता है। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर के आंकड़ों के अनुसार

# आखिर कब सु

प्लास्टिक कचरे के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्लास्टिक पर पाबंदी के लिए चरणबद्ध तरीके से भारत में भी इसी प्रकार के सञ्चय कानून उत्ताप जाने की जरूरत है। इलांकि वर्ष 2022 तक

# जम्मू-कश्मीर के विलय में पीछे नहीं थे सरदार

अवधेश कुमार

कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में जम्मू-कश्मीर से कार्यसमिति दे सदस्य तारिक हामिद कर्ना ने जिस तरह सरदार पटेल की आलोचना करते हुए कहा कि कश्मीर पर वह उदासीन थे और यह कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने त्वरित पहल नहीं की होती तो वह पाकिस्तान दें कब्जे में चला जाता, उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। हैरानी की बात है कि तारिक हामिद ने जब बोलना शुरू किया तो किसी ने उन्हें टोका तक नहीं। हाँ, उनके बोलने के बाद कुछ सदस्यों ने जरूर कहा तिने ऐसी बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरदार पटेल हैदराबाद से लेकिन जूनागढ़ तक के देसी रियासतों के विलय को अंजाम दे रहे थे। पटेल जैसे व्यक्ति पर कश्मीर के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाना उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को ही कटधरे में खड़ा करना है। हालांकि लंबे समय रह एक तबका यह साबित करने का प्रयास करता रहा है कि पटेल जम्मू-कश्मीर को भारत में रखना ही नहीं चाहते थे। सर्वपली गोपाल ने पटेल नेहरू की आत्मकथा पुस्तक में यही साबित करने का प्रयास किया था। राजेंद्र सरीन ने अपनी पुस्तक 'पाकिस्तान- द इंडिया फैक्टर' में लिखा है कि पटेल ने पाकिस्तान के मंत्री सरदार अब्दुल रब निश्तार से बात करके हुए कहा कि 'भाई, हैदराबाद और जूनागढ़ पर बातचीत छोड़ो। कश्मीर ले लो और मुद्दे को सेटल करो।' सरीन ने पाकिस्तान संविधान सभा दें एक सदस्य सरदार शौकत हयात को उद्देश्य किया है, जो उनके अनुसार लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच बातचीत के समय उपस्थित थे। इसके अनुसार माउंटबेटन ने लियाकत अली को पटेल का यह संदेश दिया कि पाकिस्तान हैदराबाद राजाहर हो जाए तो भारत कश्मीर छोड़ देगा। इसके अनुसार जून 1947 में माउंटबेटन ने कश्मीर के महाराजा हरि सिंह से कहा कि अगर वह पाकिस्तान में विलय कर लेते हैं तो भारत इसका विरोध नहीं करेगा, हालांकि पटेल ने स्वयं इसके लिए आश्वस्त किया है।

गृहमंत्री, सूचना व प्रसारण मंत्री और राज्यों से संबंधित मामलों के मंत्री होने के नाते सरदार पटेल जम्मू-कश्मीर मामले को भी देखते थे। बाद में जम्मू-कश्मीर मामले को प्रथानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू स्वाक्षर देखते लगे। जम्मू-कश्मीर के प्रथानमंत्री पं. रामचंद्र काक को 3 जुलाई 1947 को लिखे पत्र में पटेल कहते हैं, 'मैं कश्मीर की विशेष कठिनाइयों को समझता हूँ, किंतु इतिहास और पारंपरिक रीति-रिवाजों आदि विध्यान में रखते हुए मेरे विचार से जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय न किया जाए। अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प ही नहीं है। भविष्य का ध्यान रखते हुए सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह के साथ अच्छे संबंध बनाए थे और उन्हीं की सलाह से महाराजा ने पंजाब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मेहरचंद महाजन को रामचंद्र काक की जगह प्रथानमंत्री नियुक्त किया था। जम्मू-कश्मीर के सामरिक महत्व को देखते हुए सरदार पटेल उसका भारत में विलय चाहते थे।

माउंटबेटन ने जरूर यह आश्वासन दिया कि यदि कश्मीर पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहे तो भारत समस्या खड़ी नहीं करेगा। सरदार पटेल ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया था। बस, योजनाबद्ध तरीके से वह चुप रहे क्योंकि उस समय यही समयोचित था। आगे स्वयं कांग्रेस परिषद् नेताओं ने यह मत प्रकट किया कि सरदार पटेल को कश्मीर समस्या सुलझाने की अनुमति दी जाती तो हैदराबाद की तरह यह समस्या स्थायी रूप से सुलझ जाती। सरदार पटेल ने एच. वी. कामत को बताया था कि 'यदि जवाहरलाल नेहरू और गोपालस्वामी आयंगर कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप न करते और उसे गृह मंत्रालय से अलग न करते तो हैदराबाद की तरह ही इस मुद्दे को भी देश-हित में सुलझा लेता। जस्ती स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तानी कश्मीर में घुसेप्त करने जा रहे हैं और सेना को भी घुसाने की योजना है तो 27 सितंबर, 1947 को नेहरू जी सरदार से कहा, 'मैंने प्रथानमंत्री महाजन को भी परिस्थिति से अवगत करा दिया है, किंतु उनके मन में क्या है इसका पता नहीं चल सका है। महाराजा और महाजन के लिए आपकी सलाह अधिक प्रभावी रहेगी।' सरदार पटेल ने महाराजा हरि सिंह और प्रथानमंत्री महाजन को समझाया।

कि आपके पास भारतीय संघ में विलय का ही विकल्प है। इस बीच समाचार मिला कि पाकिस्तानी हमलावरों ने कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है और आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने इस पर सेना को कश्मीर भेजने का निर्णय लिया। सेना भेजने के निर्णय में पटेल की भूमिका को नकारा जाता है। एस. गोपाल ने लिखा है कि सेना भेजने का निर्णय मंत्रिमंडल का था। हालांकि लगभग पूरा मंत्रिमंडल अनिनिय की स्थिति में था। बक्शी गुलाम मोहम्मद शेख अब्दुल्ला के सहायक थे और दिल्ली की बैठक में उपस्थित थे। वह लिखत है कि 'लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में हुई बैठक में पंडितजी, सरदार पटेल, रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह, ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ सर राय बुकर, कमांडर-इन-चीफ जनरल रसेल, आर्मी कमांडर और मैं उपस्थित थे। जनरल बुकर ने जोर देकर कहा कि उनके पास संसाधन इतने कम हैं कि राज्य को सैनिक सहायता देना संभव नहीं। माउंटबेटन ने निरुत्साहपूर्ण झिझक दर्शाई। पंडितजी ने तीव्र उत्सुकता और शंका प्रकट की। बक्शी के अनुसार पटेल चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे। सहसा सरदार हिले और कठोर एवं दृढ़ स्वर में अपना विचार व्यक्त किया, 'जनरल हर कीमत पर कश्मीर की रक्षा करनी होगी। संसाधन हैं या नहीं, आपको यह तुरंत करना चाहिए। सरकार आपकी हर प्रकार की सहायता करेगी। यह अवश्य होना और होना ही चाहिए।' जनरल के चेहरे पर उत्तेजना के भाव दिखाई दिए। जनरल की इच्छा आशंका जताने की रही होगी, किंतु सरदार चुपचाप उठे और बोले, 'हवाई जहाज से सामान पहुंचाने की तैयारी सुबह तक कर ली जाएगी।' इस तरह जम्मू-कश्मीर की रक्षा सरदार पटेल की चारित्रिक दृढ़ता और तरित निर्णय लेने और सबको निर्णय के साथ रहने के लिए तैयार करने की उनकी क्षमता के कारण संभव हो सकी। वह हर हाल में जम्मू-कश्मीर का भारत में विलय चाहते थे और प्रधानमंत्री द्वारा इस मामले को अपने हाथों में ले लिए जाने के बावजूद उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

# ਦਿੰਗਿਵਜਯ ਸਿੰਹ : ਕਹੀ ਪੇ ਨਿਗਾਹੋਂ ਕਹੀ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

मध्यप्रदेश से राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिविजय सिंह ना केवल मध्यप्रदेश में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा विवादित हैं रहे हैं। मध्यप्रदेश में 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे दिविजय सिंह अपने कार्यकाल में हमेशा आलोचना झेलते रहे। बिजली, पानी और सड़क दें मुद्दे तब इन्हें गंभीर थे कि ऐसा कोई समय नहीं रहा जब प्रदेश का जनता उन्हे कोसती ना रही थी। लेकिन इन्हाँ तो मानना ही पड़ेगा विनाश कांग्रेस पार्टी में उनकी विश्वसनीयता और निष्ठा किसी अन्य कांग्रेस नेता की तुलना में हमेशा ऊच्च ही रही। यही नहीं ऐसा माना जाता है कि उन्होंने राहुल गांधी को उंगली पकड़कर राजनीति के गलियारों की सेंटरी कराई। हालांकि इस पर लोगों की दो राय हो सकती हैं कि दिविजय दें इतना सिखाने के बाद भी राहुल गांधी कांग्रेस के खेवनहार क्यों नहीं बढ़ पा रहे। खैर बात अभी 2 दिन पहले के दिग्गी राजा के बयान की जिसमें उन्होंने आर एस एस और वर्तमान गृहमंत्री अमित शाह की दिल खोलकर प्रशंसा की है। यूं अगर देखा जाए तो दिविजय आरएसएस और भाजपा के कट्टर आलोचक रहे हैं। वह ऐसा कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते जिसमें वे आरएसएस को खरी-खोटी ना सुनाएं। तो आखिये क्यों दिग्गी राजा ने अमित शाह की तारीफ की?

वैसे तो यदि किसी ने किसी के साथ सहयोग किया है तो सहयोग कर्ता के प्रति आभार का कर्तव्य बनता है अन्यथा उसे कृतघन्ता माना जाएगा।

डॉ. हरिकृष्ण बड़ोदिय

# भारत रहा है प्लास्टिक कचरे से बचना चाहता है।

देश में प्रूस्टिक कचरा उत्पन्न होने के आंकड़ों पर नजर डालें तो इसमें सबसे बड़ा योगदान दिली का रहता है, जहां पूरा दिन उत्पन्न हो वाले तमाम तरह के कचरे में 10.14 फीसदी हिस्सा प्रूस्टिक कचरे वही होता है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा 2015 एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर जारी रिपोर्ट के अनुसार देशभर में प्रतिदिन 25940 टन प्रूस्टिक कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से देश कुल 60 शहरों का ही योगदान 4059 टन का रहता है। दिली में सर्वाधिक 689.52 टन, चेन्नई में 429.36, मुम्बई में 408.27, बैंगलुरु में 313.87 हैंदराबाद में 119.33 टन प्रूस्टिक कचरा रोजाना पैदा होता है। एक अन्न जानकारी के अनुसार 2017-18 में देशभर में कुल साढ़े छह लाख टन प्रूस्टिक कचरा उत्पादित हुआ था। इस प्रूस्टिक कचरे में सबसे बड़ा योगदान खाली प्रूस्टिक बोतलों का होता है। सीपीसीबी के अनुसार 2015-16 भारत में लगभग 900 किलो टन प्रूस्टिक बोतलों का उत्पादन किया गया था। चिंता की बात यह है कि प्रतिदिन निकलने वाले प्रूस्टिक कचरे टन लगभग आधा हिस्सा या तो नालों के जरिये जलाशयों में मिल जाता है तथा गैर-शोधित रूप में किसी भू-भाग पर पड़ा रहकर धरती और वायु को प्रदूषित करता है। देशभर में सभी राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहे हैं किन्तु वे अपने कार्य के प्रति कितने सजीदा हैं, यह जानने के लिए इतना जान लेना ही पर्याप्त होगा कि 2017-18 में इनमें सिर्फ 14 बोर्ड ही ऐसे थे, जिन्होंने अपने यहां प्रूस्टिक कचरे के उत्पादन बारे में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जानकारी उपलब्ध कराई। स्पष्ट कि केन्द्र सरकार और एनजीटी दोनों को प्रूस्टिक प्रदूषण पर नियंत्रण लिए इन सभी बोर्डों की जगवादेही सुनिश्चित करनी हाँगी और प्रूस्टिक उपयोग को कम करने के लिए जागरूकता बढ़ाने के साथ अदालती निर्देशों का स्वल्पी से पालन भी समिक्षित करना चाहेगा।

# आखिर कब सुधरेंगे पटवारी?

मित्रों, साल तो याद नहीं लेकिन 1980 के दशक की बात है। पिताजी हर महीने प्रसिद्ध पत्रिका कादम्बिनी लाते थे। ऐसे ही किसी साल के दिवाली अंक में चम्पल के पर्पु डाकू मोहर सिंह का साक्षात्कार छपा था। मोहर सिंह से जब पूछा गया कि वो बागी क्यों बने तो उन्होंने कहा था कि अगर पटवारी सुधर जाए तो कोई बागी नहीं बनेगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश का तो पता नहीं कि वहाँ के पटवारी सुधरे कि नहीं लेकिन अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि बिहार के पटवारी नहीं सुधरे हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अभी भी बिहार में एक भी दाखिल खारिज बिना रिश्वत दिए नहीं होता। यहाँ संवैधानिकी की जमीन का भले ही दो गया हो, इतना ही नहीं ऐसा देने पर भी दाखिल खारिज में कर्मचारी

राजस्व मंत्री का जमान का भैल हो हो गया हो। इतना ही नहा पसा दिन पर भा दाखिल खारिज म कमवारा — सालों साल लगा देता है। मित्रों, ईधर सरकार कहती है कि दाखिल खारिज को ऑनलाइन कर दिया गया है लेकिन सच्चाई यही है कि सारे काम ऑफलाइन हो रहे हैं। इस बारे में पूछने पर एक राजस्व कर्मचारी ने दिलचस्प वाकया सुनाया। हुआ यह कि किसी किसान ने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया। फिर वो कर्मचारी से मिलने आया। कर्मचारी ने 2500 रुपये मांगे तो किसान ने कहा कि आप काम करिए मैं रसीद करवाने आऊंगा तो पैसे दे दूंगा। कर्मचारी ने विश्वास करके काम करवा दिया और उसे ऑनलाइन भी कर दिया। उधर किसान चालाक निकला और कर्मचारी के पास रसीद करवाने आया ही नहीं। जब कई महीने बीत गए तब कर्मचारी को शक हुआ और उसने चेक किया। कर्मचारी यह देखकर सन्तुष्ट हुआ कि किसान ने ऑनलाइन रसीद करवा लिया था। कर्मचारी ने बताया कि उसने अपनी जैव से सीओ और सीआई को 1000 रुपये दे रखे थे। इस धोखे के बाद उस कर्मचारी ने बिना पैसे लिए ऑनलाइन दाखिल खारिज करना ही बंद कर दिया। मजबूरन पार्टी को उसके पास जाना ही पड़ता है और बार-बार जाना पड़ता है। मित्रों, हमारे एक परिचित की तो जमीन ही चोरी हो गई। बेचारे की खतियारी जमीन थी। जब वो रसीद करवाने गया तो पता चला कि जमीन है ही नहीं। बेचारे की पाँव तले की जमीन भी खिसक गई। आजकल बेचारे डीसीएलआर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। मित्रों, अब सुनिए सरकार तो उसे जहाँ विभाग में पारदर्शिता बढ़ानी चाहिए वहाँ वो पारदर्शिता कम करने में लगी है। संशोधन करके सूचना के अधिकार की जान पहले ही निकाली जा चुकी है। पहले जहाँ बिहार भूमि वेबसाइट पर हरेक मौजा में किस-किस किसान का दाखिल खारिज का आवेदन कितने महीनों या सालों से लंबित है का विवरण उपलब्ध रहता था वहाँ अब अनुपलब्ध है। अब किसान सिर्फ अपने आवेदन की स्थिति देख सकता है। न जाने सरकार ने वेबसाइट में इस तरह का संशोधन क्यों किया जिससे इस महाभृष्ट विभाग में और भी ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाए। मित्रों, आज ही यह समाचार पढ़ने को मिला कि अब अंचलाधिकारी दाखिल खारिज का काम नहीं देखेंगे लेकिन उससे होगा क्याजो अधिकारी दाखिल खारिज देखेगा क्या वो रिश्वत नहीं लेगाफिर यह कोई सुधार तो हुआ नहीं। यह भी पढ़ा कि कानपुर आईआईटी की टीम ने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे बिना रिश्वत के दाखिल खारिज हो सकेगा। देखते हैं कि आगे होता क्या हैवैसे मुझे नहीं लगता कि अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक और हलका कर्मचारी के पास इसका तोड़ नहीं होगा। ऐसे में 40 साल बाद वही सताल रखता है जो चक्कल के काव्यग्रन्थ द्वारा मोड़वा सिंड जे तब रुक्या था कि असिक्कर कर सूखरेंगे बिदार के पटारी?

बजकिशोर सिंह

# खेल/भदोही संदेश

## भारत-ऑस्ट्रेलिया वार्म अप मैचः हार्दिक ने छक्का लगाकर टीम को जीत दिलाई, ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया

दुर्बल (एजेंसी)। दूसरे वार्म अप मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया था। टीम जीतकर पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 152/5 का स्कोर बनाया। टीम के लिए स्टोर स्पिध ने 57 रनों की पारी खेली। वहीं, भारत के लिए आर अश्विन 2 विकेट लेने में सफल रहे। 153 रनों के टारेगेट को टीम इंडिया ने शानदार खेल दिखाते हुए 17.5 ओवर में दो विकेट के क्रमान्वय पर हासिल कर लिया। हार्दिक पंड्या ने 8 गेंदों पर नाबाद 14 और सूर्यकुमार यादव ने 27 गेंदों पर नाबाद 38 रन बनाए। इससे पहले भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में झूँटू को 7 विकेट से हराया था।

टारेगेट का पीछा करते हुए केलन राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। एटन एगर ने राहुल (39) को आउट कर इस साझेदारी पर ब्रेक लगाया। वार्म अप मैच में रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए 41 गेंदों पर 153 रन बनाए। इससे पहले भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में झूँटू को 7 विकेट



उहोंने 5 चौके और 3 छक्के लगाए। रोहित रिटायर हॉकर पवेलियन लौटे। वर्ड कप के शुरू होने से पहले लिफैन के लिए एटन 68 रन जोड़े। एटन एगर ने राहुल (39) को आउट कर इस साझेदारी पर ब्रेक लगाया। वार्म अप मैच में रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए 41 गेंदों पर 153 रन बनाए। इससे पहले भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में झूँटू को 7 विकेट से हराया था।

विराट कोहली के पीछा करते हुए एटन राहुल और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 68 रन जोड़े। एटन एगर ने राहुल (39) को आउट कर इस साझेदारी पर ब्रेक लगाया। वार्म अप मैच में रोहित शर्मा ने शानदार खेल दिखाते हुए 41 गेंदों पर 153 रन बनाए। इससे पहले भारत ने अपने पहले वार्म अप मैच में झूँटू को 7 विकेट

# देश/विदेश संदेश

## निहंग डेरा चीफ पर 5 केसः बाबा अमन पर तस्करी जैसे आरोप, लखबीर केस में आरोपी चारों निहंग इन्हीं के दल के

लुधियाना (एजेंसी)। हरियाणा में सिंघु बॉर्डर पर दशहरे गाली सुबह हुई पंजाबी युवक लखबीर सिंह की हत्या पर जिन 4 निहंगों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है। वह चारों गाला अमन सिंह के दल से तालूक रखते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरद्रव सिंह तोमर के साथ फोटो सामने आने की वजह से सुखियाँ में आए निहंग बाबा अमन सिंह के विवादों से पुराना नाम रहा है। बाबा अमन सिंह के खिलाफ नशा तरक्की और मारपीट के आपाराधिक केस दर्ज हैं और इनकी सुवाइ अदालतों में चल रही है। बाबा अमन सिंह कुछ समय के लिए करूरथल की सेंट्रल जैल में बंद रह चुका है।

एक जांच पहलाना में सामने आया कि पंजाब के बरनाला जिले में महलकला थाने की पुलिस ने 14 जनवरी 2018 को चौंकेंगी

बरनाला के महलकला थाने 2018 में दर्ज गांजा तस्कारी के केस में नामजद



दौरान जर्सैल सिंह निवासी रिगिया गरचा रोड बरनाला, कुलविंदर सिंह हरजीत और बलकार सिंह से 9 विवरण गांजा बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना के बाद इन चारों को इलाके की एक डेन के पास से पकड़ा तो उनसे यह गांजा मिला। जाच के दौरान पुलिस ने अमन सिंह उर्क बाबा निवासी बरनपुर, धूरी (जिला संगरुर) को भी इनी केस में नामजद कर लिया। सगरुर की

स्थेशल कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। बाबा अमन सिंह के खिलाफ जालंधर के रामामंडी थाने में भी मारपीट के 4 आपाराधिक केस दर्ज हैं। रामामंडी थाने में पहला केस 30 मई 2013 को आईपीसी की थारा 325, 324 के तहत दर्ज किया गया। रामामंडी थाने में ही अमन सिंह पर जल्डी 2017 शेर अवूटर 2017 में भी आईपीसी की थाराओं 447/511 व 107/151 के तहत मामले दर्ज किया गया। इनमें से एक केस में वह कूपथल सेंट्रल जैल में बंद भी रह चुका है।

सिंघु बॉर्डर पर 15 अक्टूबर की सुबह हुई तरनतरास जिले के चीमा गंग के लखबीर सिंह की हत्या के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में हैं। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सरेंडर कर चुके हैं। इन चारों का कहना है कि लखबीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की ओर इन्होंने उसकी हत्या कर दी।

लखबीर की बैरबर हत्या के बाद तमाम लोग निहंग जायेबंदियों पर सवाल उठा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा तो स्पष्ट कह चुका है कि इन्होंने जायेबंदियों की 1 संपुर्ण बॉर्डर पर काइ जरूरत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

4 साल से जेल में कैद वकील को नहीं मिली जमानत, घटघट से संबंध रखने का है आरोपी, एससी ने कहा- आरोप बेहद गंभीर

वाचिकाकर्ता के वकील सिद्धार्थ वरे से कहा, आपके खिलाफ सबूत हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि यह उनके क्लाइंट के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

याचिकाकर्ता के वकील पर प्रतिविधित

संस्थान द्वारा संबंध रखने के लिए आरोपी के मामले में आरोपी

वकील को जमानत देने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने

इस बात पर भी गौर किया कि आरोपी पर भी गौर किया कि आरोपी पर अवूटर 25 अक्टूबर, 2017 से जेल में है और यहां तक कि उसके खिलाफ वार्च भी फ्रेम नहीं किया गया है और आदेश दिया

कि एक साल में इस द्रायल का निर्वाचन निकाल जाए। बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से बचा किया गया है।

सुनवाई के दौरान दर्वे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके क्लाइंट, सूरत में वकील पर भी गौर किया गया है और उनके बाद बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से बचा किया गया है।

सुनवाई के दौरान दर्वे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके क्लाइंट, सूरत में वकील पर भी गौर किया गया है और उनके बाद बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से बचा किया गया है।

सुनवाई के दौरान दर्वे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके क्लाइंट, सूरत में वकील पर भी गौर किया गया है और उनके बाद बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से बचा किया गया है।

सुनवाई के दौरान दर्वे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके क्लाइंट, सूरत में वकील पर भी गौर किया गया है और उनके बाद बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से बचा किया गया है।

सुनवाई के दौरान दर्वे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके क्लाइंट, सूरत में वकील पर भी गौर किया गया है और उनके बाद बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से बचा किया गया है।

सुनवाई के दौरान दर्वे ने अदालत से आग्रह किया कि उनके क्लाइंट, सूरत में वकील पर भी गौर किया गया है और उनके बाद बृद्धवार को इस मामले में अदालत नहीं है और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए। लखबीर की हत्या के पांचवें दिन, 19 अक्टूबर को निहंग बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री बलकर हरजीत और आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। उनके दल के 4 निहंग पुलिस के सामने

सिंघु बॉर्डर पर भी गौर किया कि आरोपी चारों ने अमन सिंह के बाद बाबा अमन सिंह और उनका निहंग दल चर्ची में है। बैच ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा एनवी रमनन की अद्यक्षता वाली बैच ने सबूत देने से ब